न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :– कविता गोदारा, आर0ए0एस0

वाद पत्र सं :: 104/2025
जीसीएमएस सं0 :: 2025/199

1. नागरमल उम्र 52 वर्ष पुत्र गोदूराम
2. बजरंग लाल उम्र 45 वर्ष पुत्र गोदूराम
   समस्त जाति जाट नि0 ग्राम गोवटी तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर ।राज0।

– वादीगण,

बनाम

1. भागुराम उर्फ भागीरथमल पुत्र रामु।
2. भोलूराम पुत्र हणमान।
3. मूली पत्नी प्रभात।
   समस्त जाति जाट नि0 ग्राम गोवटी तह0 दांतारामगढ़, जिला सीकर।
4. भूमिधारी तहसीलदार, दांतारामगढ़, जिला सीकर।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :–. श्री विजय सिंह तंवर , वकील वादीगण की ओर से।

दावा अंतर्गत धारा 183,188 राज0काश्त0अधिनियम।

निर्णय दिनांक :: 23.09.25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि वादीगण एंव प्रति0सं0 1 ता 3 एक ही गांव के परिचित व्यक्ति है। वादीगण के कब्जे काश्त एंव खातेदारी की कृषि भूमि ख0नं0 1179/74, 1181/73, 1183/72 वाके ग्राम गोवटी तह0 दांतारामगढ़,सीकर में अवस्थित है, जो वादीगण के कब्जे काश्त स्वामित्व एंव खातेदारी की भूमि है। वादीगण राज0काश्त0अधि0 लागू हुआ तब से वर्तमान तक उक्त कृषि भूमि वादीगण के कब्जे काश्त एंव खातेदारी में चली आ रही है । खातेदार नागरमल पुत्र गोदूराम के ब्रेन हेमरेज हो जाने के कारण वह काफी दिन तक बीमार रहा तथा खातेदार बजरंगलाल अपने भाई नागरमल की देखभाल में लग गया। इस कारण अस्थायी रूप से बंटाई पर काश्त करने के लिए अप्रार्थीगण को संभला दी गई। प्रति0सं0 1 ता 3 को वादीगण द्वारा आवेदन में प्रश्नगत कृषि भूमि 3 वर्ष के लिए बंटाई पर दी गई थी, जो अवधि 31.3.2025 को समाप्त हो गई है तथा वादीगण अपने कब्जे काश्त एंव खातेदारी की कृषि भूमियों की अब काश्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम है । इस कारण पुनः प्रति0सं0 1 ता 3 से भूमियों का कब्जा लेने के लिए प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण ने कब्जा देने से आना–कानी की तथा उपज का भाग भी देने से मना कर दिया तथा उनके मन में लालच व बेईमानी आ चुकी है। इस कारण उन्होंने इस वर्ष की उपज का भाग भी वादीगण को नहीं दिया तथा कब्जा भी वादीगण को सुपुर्द करने में आनाकानी करने लग गये। वांद कारण दिनांक 10.5.2025 को पैदा हुआ जब वादीगण द्वारा प्रति0सं0 1 ता 3 को विवादित भूमि को खाली कर संभलाने का निवेदन किया व उपज का आधा भाग भी दिये जाने का निवेदन किया गया तथा उक्त अनुमति मात्र 3 वर्ष के लिए दी तथा प्रतिवादीगण के मन में लालच व बेईमानी आ जाने व संख्या बल में अधिक होने व वादीगण की कमजोर अवस्था का

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

नाजायज फायदा उठाने की गरज से वादीगण द्वारा दी गयी स्वीकृति निरस्त कर दिये जाने के बावजूद व भूमि खाली करने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण द्वारा 10.5.25 को उक्त भूमि खाली करने से इंकार हो गये तथा खुली ऐलानियां धमकी दी कि वे उक्त भूमियों की उपजाउ क्षमता नष्ट कर पेड पौधे नष्ट करने की धमकी दी जिससे वाद कारण पैदा हुआ, जिस पर यह दावा बेदखली हेतु पेश करना आवश्यक हुआ । वादीगण ने वाद पत्र पेश कर वाद की उप मद 1, 2, 3, 4 अनुसार वाद वादीगण डिक्री करने का निवेदन किया है।

वाद–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रति0सं0 1 ता 3 बावजूद रजिस्ट्रर्ड तामील के हाजिर नहीं आए इसलिए इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई गई।

वादीगण ने वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी ख0नं01178/90, 1179/74, 1181/73, 1183/72 वाके ग्राम गोवटी तह0 दांतारामगढ़,सीकर संवत् 2076–79 की प्रति प्रदर्श–1 पेश की एंव साक्ष्य में वादीगण नागरमल एंव बजरंगलाल द्वारा स्वंय का शपथ पत्र पेश किया।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रतिवादीगण हमारे गांव के है, जिनको हम जमीन जोतने के लिए देते है। हमारे कुल 5 खसरे है, हमने केवल 3 खसरे ही जोतने के लिए दिये थे, भूमि की जमाबंदी प्रदर्श–1 है। प्रतिवादीगण ने हमें कब्जा देने से मना कर दिया है। हमारे द्वारा दी गई अनुमति की अवधि 31 मार्च को पूर्ण हो गई है। मेरी जमीन हमें वापिस दिलवाई जावे और प्रतिवादीगण जमीन को खुर्द–बुर्द नहीं करे इसलिए इनको पावन्द किया जावे।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि राजस्व ग्राम गोवटी प0ह0 गोवटी तहसील दांतारामगढ़, सीकर के ख0नं0 1178/90, 1179/74, 1181/73, 1183/72, 77 कुल किता 5 कुल रकबा 2.6800 है0 की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज खातेदारी है। प्रतिवादीगण जो कि वादीगण के गांव के ही रहने वाले है, जिनको वादीगण द्वारा जमीन जोतने के लिए दी गई थी। वादीगण द्वारा इन पांच खसरा नंबरों में केवल 3 खसरे ही जोतने के लिए उनको अनुमति दी गई थी, जो पूर्ण होने पर उनसे वापिस जमीन चाही जाने पर उनके द्वारा मना कर दिया गया । इस प्रकार प्रतिवादीगण अतिक्रमी होने से उनको बेदखल कर कब्जा वादीगण को संभलाया जाना न्यायहित में न्यायालय उचित समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण के कब्जे काश्त एंव खातेदारी की कृषि भूमि ख0नं0 1179/74 रकबा 0.2450 है0 ख0नं0 1181/73 रकबा 0.1700 है0 ख0नं0 1183/72 रकबा 0.1416 है0 वाके ग्राम गोवटी प0ह0 गोवटी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर से प्रतिवादीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाकर अविलम्ब बेदखल कर कब्जा वादीगण को संभलाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रतिवादीगण को स्थायी

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे प्रश्नगत भूमियों को किसी भी रूप में खुर्द–बुर्द करने व भूमियों की उपजाउ क्षमता नष्ट करने व उक्त भूमियों में से चिकनी मिट्टी विक्रय करने से व भूमियों को उबड खाबड करने से सदैव के लिए बाज रहे। तहसीलदार, दांतारामगढ़ उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित करावे। फाईनल पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील कागजात दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कविता गोदारा)
आर0ए0एस0
सहायक कलक्टर (मु0) सीकर